प्रकरण संख्या 18/2019 श्रीमती पानी बनाम बालावन व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात ग्राम कवास का गुडा में स्थित हैं, जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 में होकर आराजी नंबर नंबर 255/1, 256, 257, 258, 259/1 व 259 कुल किता 6 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा है। उक्त भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार संयुक्त रूप से काबिज हैं, लेकिन अब वादी अपने हिस्से की भूमि को विकसित करना चाहती है, किन्तु भूमियां शामलाती होने से प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः विवादित भूमियों का उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद का जवाब प्रस्तुत कर कब्जे अनुसार बंटवाड़ा किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.02.2.19 से वादिया का वाद स्वीकार कर विभाजन की डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.05.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ललित कुमावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।	

दौराने कार्यवाही अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण पुनः नये सिरे से विभाजन करने हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया। प्रकरण रिमाण्ड किये जाने हेतु दोनों पक्षकार सहमत होने से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को मद्दे नजर रखते हुए उस पर पक्षकारान को पुनः सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.02.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 18/2019 श्रीमती पानी बनाम बालावन व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2019.12.16 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: